राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा।* ~~दिल-बद~~ दल-बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है।*

The President will take the opinion of the Election Commission and will act according to its opinion.* The decision on the disqualification of Members of Parliament on the basis of defection is taken by the Speaker in the Lok Sabha and by the Chairman in the Rajya Sabha.*

Q ⇒ निर्योग्यता ? ⇒ प्रश्न - दल - बदल

Disqualification

↓

कोई सदस्य निर्योग्य होगा या नहीं।
इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा लिया जाता है।

कार्यकाल (LS) ⇒ 5 वर्ष / years (प्रथम बैठक दिन से)

Tenure ⇒ 5 वर्ष पूर्व भंग - राष्ट्रपति द्वारा PM की सलाह पर

⇒ 5 वर्ष पश्चात् कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है।

↳ हाँ, Yes → राष्ट्रीय आपातकाल के समय

कार्यकाल Tenure

अनु. 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है। परन्तु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है।

According to Article 83(2), the term of the Lok Sabha is 5 years from the date of its first meeting. However, even before this period, it can be dissolved by the President on the advice of the Prime Minister.

आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न होगी। उल्लेखनीय है

When the proclamation of emergency is in effect, the Parliament can by law extend the term of the Lok Sabha, which shall not exceed one year at a time. It is noteworthy

कि दूसरी आपात उद्घोषणा के कारण पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक-एक वर्ष के लिए (18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1977 एवं 18 मार्च 1977 से 18 मार्च 1978 तक) बढ़ाया गया था

1971 → II

1975 - III

That due to the second emergency proclamation, the term of the fifth Lok Sabha was extended twice for one year each (from 18 March 1976 to 18 March 1977 and from 18 March 1977 to 18 March 1978)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण Oath taking by members

Article 99 अनुच्छेद 99 -

→ LS या राज्यसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलायी जाती है।

→ शपथ ⇒ Schedule - 3
अनुसूची - 3

⇒ प्रोटेम स्पीकर (अस्थायी / Ad hoc) ⇒ कार्यकाल ⇒ सदस्यों के शपथ ग्रहण तक
अपने पद पर रहते हैं।
→ नियुक्ति ⇒ राष्ट्रपति

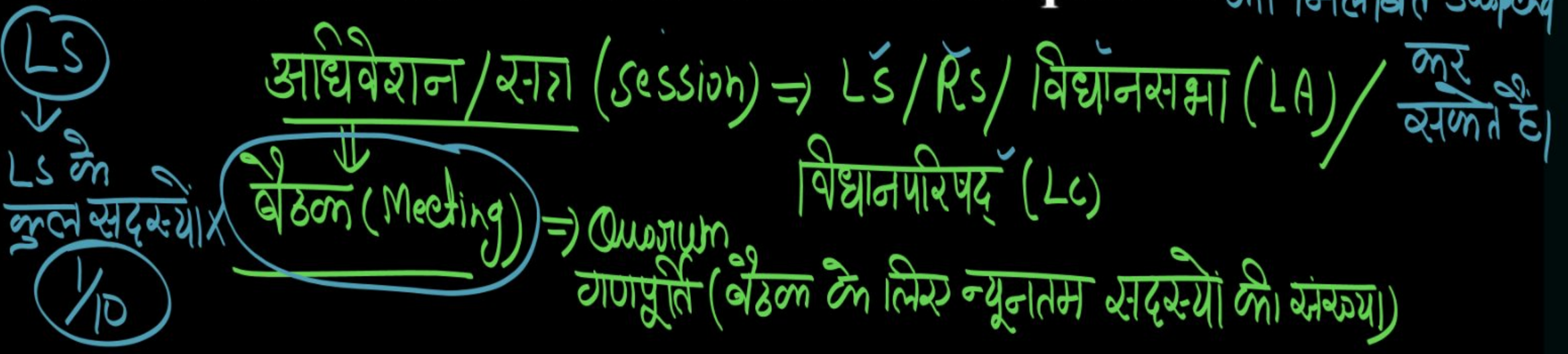
(18) → वीं लोकसभा → नये (MP)
↳ प्रोटेम स्पीकर ⇒ भर्तृहरि मेहताब

अधिवेशन व गणपूर्ति meeting and quorum

अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति (Quorum) सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है।

अगर क्वोरम पूरा न हो तो LS अध्यक्ष/RS के सभापति बैठक को निलंबित suspend कर सकते हैं।

To constitute a session a quorum of 1/10th of the total number of members of the House is required.



अध्यक्ष और उपाध्यक्ष The Speaker and Deputy Speaker

अनुच्छेद 93-97 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष (Speaker) और एक उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का चुनाव करती है

Articles 93-97 are about the Speaker and Deputy Speaker. According to Article 93, the Lok Sabha ~~elects~~ (choose) a Speaker and a Deputy Speaker from among its members in its first meeting.

→ LS के सदस्य होते हैं।

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष (speaker × Deputy speaker) ⇒ Art 93-97

⇒ अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। choose

⇒ लोकसभा की प्रथम बैठक में इन्हें चुना जाता है।

⇒ कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 वर्ष

लोकसभा अध्यक्ष नयी लोकसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर रहता है।

⇒ त्यागपत्र ⇒ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ⇒ दोनों को हटाने का तरीका समान है।

हटाता कौन है? → 14 दिन पूर्व सूचना (Before 14 days - Notice)

→ प्रस्ताव LS में पेश

→ प्रस्ताव पर चर्चा

→ प्रस्ताव पारित ⇒ साधारण बहुमत ✓
Simple Majority

उपाध्यक्ष का कार्य (Function of Deputy Speaker) ⟹ जब अध्यक्ष का पद किसी कारण रिक्त हो या वह अपने पद पर अनुपस्थित (Absent) हो, तब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

Q. ⇒ अगर दोनों का पद रिक्त हो ?

तब राष्ट्रपति LS के किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करेंगे।

Q ⇒ अगर दोनों अनुपस्थित हो ?

तब LS के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष चुनेंगे।

अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष को देता है। उन्हें लोकसभा के तत्कालीन - समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।

Present & Voting X 50%+1

The Speaker gives his resignation to the Deputy Speaker and the Deputy Speaker gives his resignation to the Speaker. They can be removed from their post by a resolution passed by a majority of all the then members of the Lok Sabha.

उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसे भी हटाना हो न दे दी गई हो। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा।

The intention to move that resolution has not been given at least 14 days' notice to the Speaker or Deputy Speaker, whoever is to be removed. The Speaker shall remain in his office until immediately before the first session of the Lok Sabha.

लोकसभा के अध्यक्ष रूप में अलग से कोई शपथ नहीं दिलायी जाती है। अतः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता है।*

No separate oath is administered as the Speaker of the Lok Sabha. Hence, no one administers the oath to the Speaker of the Lok Sabha.*

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की शपथ => ये दोनों MP के रूप में अनुसूची - 3 के अनुसार शपथ लेते हैं।
=> इनकी अलग से कोई शपथ नहीं होती।
=> राष्ट्रपति => Art. 99

अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य Power and Function of the Speaker

→ वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है

He presides over the meetings of the Lok Sabha.

→ वह सदन में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है।

He is responsible for maintaining peace and order in the House.

→ वह दल-बदल के आधार पर अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करता है।

→ सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। He decides questions related to disqualification on the basis of defection.

लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन में वही अध्यक्षता करता है।* He presides over the joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha.*

↳ बुलाता कौन है? ⇒ राष्ट्रपति

कोई विधेयक धन-विधेयक (Money Bill) है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय अध्यक्ष ही करता है। The Speaker decides whether a bill is a Money Bill or not.

पक्ष ← 50:50 → विपक्ष

60:40

सदन में पक्ष-विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देता है, अनु. 100(1) *In case of an equal number of votes in the House, he casts the casting vote, Article 100(1)

राज्यसभा (Council of State)

राज्य सभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है।* इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Rajya Sabha is the second or upper house of the Indian Parliament.* It consists of members from the states. These members represent the states and union territories.

राज्यसभा का गठन (Composition of Rajya Sabha)-

अनुच्छेद 80 में यह उपबन्धित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जायेंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किये जायेंगे। वर्तमान में राज्य सभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है।

Article 80 provides that the Rajya Sabha can have a maximum of 250 members. Out of these, 238 members will be elected from the states and union territories and 12 members will be nominated by the President from among persons having special knowledge or experience in the field of art, literature, science and social service. At present, the total number of members of the Rajya Sabha is 245.

सदस्यों का निर्वाचन Election of Members

राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।*

The members of the states and union territories in the Rajya Sabha are elected by the elected representatives of the Legislative Assemblies.*

कार्यकाल Tenure

संविधान के अनु. 83 (1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है।* यह कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं इस प्रकार हर सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है।

According to Article 83 (1) of the Constitution, the Rajya Sabha is a permanent house.* It is never dissolved, but one-third of its members retire at the end of every second year. In this way, every member remains a member of the Rajya Sabha for 6 years.

सभापति और उपसभापति Chairman & Deputy Chairman

राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं - सभापति (Chair- man) और उपसभापति (Deputy Chairman)। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है

There are two main officials of Rajya Sabha - Chairman and Deputy Chairman. The Vice President of India is the ex-officio Chairman of Rajya Sabha.

अनु० 89 कार्यकाल 5 वर्ष हैराज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति का पद रिक्तहोने पर उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करता है।

Article 89 The term is 5 years. The Rajya Sabha elects one of its members as Deputy Chairman for 6 years. When the post of Chairman is vacant, the Deputy Chairman performs the duties of the Chairman in his absence.

उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। उपसभापति किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो सभापति को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकता है।

The Deputy Chairman can be removed by passing a resolution by a majority of all the then members of the Rajya Sabha. The Deputy Chairman can resign his post at any time by writing under his signature addressed to the Chairman.